



प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्साक शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 08-10-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत फेज-3 के मेडिकल कालेज, कौशाम्बी हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि का आवंटन।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी के पत्र संख्या-ए०एस०एम०सी०/कौशाम्बी/गैर-वेतन/आवंटन/2026-27/1266 दिनांक 08.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज, कौशाम्बी हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 17.04.2026 द्वारा फेज-3 के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹0 2071.42 लाख (प्रति मेडिकल कालेज हेतु ₹0 517.85 लाख) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसमें मेडिकल कालेज, कौशाम्बी भी सम्मिलित है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक '2210-05-105-03-93' फेज-3 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹0 29000.00 लाख के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार ₹0 517.85 लाख (रूपये पाँच करोड़ सत्तरह लाख पचासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र०	मेडिकल कालेज का नाम	बजट प्राविधान	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी	2071.42	517.85

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/20256बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- 5- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
- 6- यदि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,17,85,000 (रुपये पाँच करोड़ सत्रह लाख पचासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050393 फेज-III** के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन **मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या: ई-3-125/दस-2026-27, दिनांक-29 सितंबर, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

संख्या/तद्विनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कौशाम्बी।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।